पत्रांक—03 / ना०सु०—22—09 / 2026 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा—आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक—

विषयः— नगर परिषद्, वारिसलीगंज क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 में नागरिक सुविधा मद से तत्काल कुल राशि ₹ 112.70510 लाख (एक करोड़ बारह लाख सत्तर हजार पाँच सौ दस रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेशः— स्वीकृत।

नगर परिषद्, वारिसलीगंज क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या—126 दिनांक—28.02.2018 द्वारा राशि रू० 135.26000 (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रू०) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि रू० 67.63000 मात्र आवंटित की गयी है। इस आवंटित के विरूद्ध राशि 22.55490 लाख मात्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं 45.07510 लाख मात्र का Auto Surrendered होने की सूचना उपलब्ध करायी गई है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रामनगर द्वारा सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु अवशेष राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, वारिसलीगंज द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में नगर परिषद्, वारिसलीगंज क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ—3 में अंकित योजना की स्तम्भ—5 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध स्तम्भ—8 में अंकित कुल अवशेष राशि ₹ 112.70510 लाख (एक करोड़ बारह लाख सत्तर हजार पाँच सौ दस रू०) मात्र की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025—26 में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत निम्नवत प्रदान दी जाती है :—

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश संख्या / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	कोषागार में स्वतः प्रत्यार्पित की गई राशि	तत्काल आवंटित राशि(5—6+7)	अवशेष राशि (5—6+7—8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर परिषद्, वारिसलीगंज	सम्राट अशोक भवन निर्माण योजना।	**126/ 28.02.2018**	**135.26000**	**67.63000**	**45.07510**	**112.70510**	**0.00**

3. उक्त स्वीकृत राशि **₹112.70510 लाख (एक करोड़ बारह लाख सत्तर हजार पाँच सौ दस रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 2561, दिनांक— 17.04.98, पत्रांक— 227, दिनांक—28.03.2025 एवं पत्रांक— 750, दिनांक—12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, वारिसलीगंज के PL खाता सं०—NWDPLA005, HoA संख्या— 00-8448-00-102-0002-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. बिहार कोषागार सहित के नियम–286 के आलोक में यथा B.T.C फॉर्म सं०–46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496/वि(2), दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पंत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ वही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10. 2011 एव बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत राशि **₹112.70510 लाख (एक करोड़ बारह लाख सत्तर हजार पाँच सौ दस रू०) मात्र** की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेति विकास, लघु शीर्ष–192–नगर पालिकाओं नगर परिषद् सहायता, उपशीर्ष–0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48-2217031920105, विषय शीर्ष–0105.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 03/ना०सु०–12–09/2026 के पृष्ठ सं०–03 /टि० पर दिनांक–27.01.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–05 /टि० पर दिनांक–22.02.26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना०सु०–12–09/2026 525 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–20/3/26

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, नवादा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, वारिसलीगंज/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।